रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 556] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 1986/अग्रहायण 10, 1908
No. 556] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 1, 1986/AGRAHAYANA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

संख्या 457/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1238(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 71/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 10 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	90.21	विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग और विकलांग पुनर्स्थापन सहाय्य के पुर्जे और संघटक	कुछ नहीं	यदि ऐसे पुर्जों और संघटकों का प्रयोग विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग और विकलांग पुनर्स्थापन सहाय्य के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने में किया जाता है ।"

[फा. 332/67/86-टी आर यू]

गौतम रे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st December, 1986

NOTIFICATION

No. 457/86-Central Excises

G.S.R. 1238(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (I) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of

India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 71/86-Central Excises, dated the 10th February, 1986, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after S.No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	90.21	Parts and components of artificial limbs and rehabilitation aids for the handicapped.	Nil	If the parts and components are used in the factory of production in the manufacture of artificial limbs and rehabilitation aids for the handicapped".

[F. No. 332/67/86-TRU]

GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986